

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

26-07-23

पत्रावली, पेना हुक्म वकील शर्मा अपन प्रार्थना पत्र
स्वीकार होने के उक्त आवेदन को पुनः बरामद किया
गया। विधार्थीगण के नोटिस लामील सुन जायत होने
के बावजूद कोई उपनधी हुक्म भतः उनके विरुद्ध
एकतया कार्यवाही भ्रमल में लगई जारी है। वकील
शर्मा ने बहल सुनने का निवेदन किया। वकील शर्मा
की बहल सुनी गई। बहल पर मनन किया। पत्रावली
का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिसके उत्तर
होता है कि विधार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने
योग्य है। अतः नेश्वमबांदी निर्णय मलग से लिखा जाऊ
गा। पत्रावली किया गया। पत्रावली फौजल सुमार दोठर
दरिबल दफ्तर हो। संख्या के उम सी

Shad

सेवाने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
राजस्व आवेदन सं. 220/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट
रामसिंह वगैरा बनाम साकर खां वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री अह्मद निवृत्ति सोमनाथ
प्रार्थी वकील - श्री जगदीश पोटलिया

निर्णय

दिनांक -

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र बीजासर भू.अ.नि. क्षेत्र बिजासर के मौजा एकलिया धोरा के खेत खसरा संख्या 572/123 रकबा 21.15 बीघा किस्म बा0सो0 स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र बीजासर भू.अ.नि. क्षेत्र बिजासर के मौजा एकलिया धोरा के खेत खसरा संख्या 572/123 रकबा 21.15 बीघा किस्म बा0सो0 की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रुबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रुबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार धनाऊ को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांकको न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

Ahad

(अह्मद निवृत्ति सोमनाथ)

आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्रार्थी</p> <p>1 रामसिंह पुत्र पुरदान 2. तुलछदान पुत्र पुरदान जाति चारण निवासी एकलिया धोरा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</p>	<p>बनाम</p>	<p>विप्रार्थीगण</p> <p>1 साकर पुत्र मेहरा जाति मेगवाल 2. जेठूदान पुत्र पुरदान 3. जैसुदान पुत्र पुरदान 4. मथरदान पुत्र पुरदान 5. कमला जोजे केसूदान जाति चारण, निवासी एकलिया धोरा 6. भूरा पुत्र मूलाराम 7. चंदा पुत्र मुलाराम 8. खेता पुत्र मूलाराम 9. देवा पुत्र गेमराराम 10. केशर पत्नि गेमराराम जाति सुथार, नि.हरपालिया 11. मगा पुत्र मानाराम 12. समरथा पुत्र मगाराम जाति जाट, निवासी एकलिया धोरा तहसील धनाऊ</p>
---	-------------	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 220/2022

दिनांक : 26:07:2023

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र बीजासर भू.अ.नि. क्षेत्र बीजासर के मौजा एकलिया धोरा के खेत खसरा संख्या 572/123 रकबा 21.15 बीघा किस्म बा0सो0 स्थित के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(Signature)

(अव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

आई.एस.
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा
(SDO) सेड़वा

dc

दिनांक - 01:08:2023

क्रमांक/भू.अ./2023/1419

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार धनाऊ ।
2. प्रार्थी रामसिंह पुत्र पुरदान।
3. विप्रार्थीगण साकर पुत्र मेहरा वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ

(Signature)

उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

dc
(SDO) सेड़वा